गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) यह सही है कि न्यायालय संविधान के हिन्दी रूपान्तर को प्रमाणिक नहीं मानते ।

(ख) संविधान का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ तैयार करने के उपबंध के लिये संविधान में संशोधन का विधेयक पुरःस्थापित कर दिया गया है ।

पर्यटनों को उद्योग घोषित करना

704. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पर्यटन को उद्योग घोषित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और घरेलू व विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस अवधि के दौरान किन स्थानों का विकास किए जाने की संभावना है ; और

(ख) बिहार में झीलों, पहाड़ियों, जंगलों और गर्म पानी के चश्मों को जिनमें अनेकों देश व विदेश में प्रसिद्ध हैं विकसित करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एप्रोच पेपर को अनुमोदित करते समय यह सिफारिश की थी कि पर्यटन को एक उद्योग का उर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। इस सिफारिश के अनुकरण में, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से पर्यटन की उद्योग के रूप में घोषित करने के लिए निरंतर अनुरोध किया जा रहा हैं ताकि जो रियायतें अन्य उद्योगों को उपलब्ध हैं वे पर्यटन से संबद्ध कार्यकलापों पर भी लागू हो सकें। अभी तक हिमाचल प्रदेश, मेघालय , उत्तर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, केरल, आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडु, हरियाणा और बिहार की सरकारों ने पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित किया हैं जबकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की सरकारों ने होटल को उद्योग के रूप में घोषित किया हैं ।

एक स्थान को पर्यटक संभाव्यता, एक केन्द्र की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या, धन-राशि की उपलब्धता और परपर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्य सरकार संघ शासित क्षेत्र के परामर्श से पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए केन्द्रों का चयन किया जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटन आधार संरचना का विकास करने के लिए 80–100 केन्द्रों को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

(ख) पहले से चली आ रही स्कीमें और बिहार में आधार-संरचना का विकास करने के लिए रिलीज की गई धनराशि इस प्रकार हैं–:

(लाख रुपए में)

स्कीम का दाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1. बेतला में सधे हुए हाथी	1.50	1.35
2. हजारीबाग में मिनी बस	2.67	2.40
3. तिलैया बांध के लिए नौकाएं	6.12	6.12
4. बेतला में वन गृह	46.76	40.00
5. गौतम वन का विकास	20.00	18.00
6. राजगीर में अल्पाहार गृह	5.04	2.50
7. मानेर शरीफ में अल्पाहार गृह	3.43	3.00

हीरों आदि का निर्यात

705. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान हीरों, स्वर्ण भूषणों

कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों और मोतियों का निर्यात लगभग स्थिर रहा है और 1986 के दौरान इनके निर्यात के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य मात्र 1325 करोड़ रुपए है जबकि 1985-86 का लक्ष्य 1437.63 करोड़ रुपए था और इस कम लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया जा सका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार, स्ट्रिप, तार, आवश्यक औजार तथा शीट बनाने वाली मशीन जैसे उपकरण, कच्चा माल आदि की कमी और ब्याज की अधिक दर तथा अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाओं जैसी व्यापार की समस्याओं को नहीं सुलझा सकी है हालांकि इन वस्तुओं की विदेशों में काफी मांग है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या उपचारी उपाय करने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर रत्नों तथा आभूषणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(रुपए करोड़ में)

	निर्यात लक्ष्य	वास्तविक निर्यात
1983-84 .	1195	1324
1984-85 .	1570	1307
1985-86 .	1325	1508 (अनन्तिम)
1986-87 . (अप्रैल "86"-जनवरी "87")	1550	1677 (अनन्तिम)

(ख) और (ग) जी नहीं। सरकार रत्न तथा आभूषण क्षेत्र में निर्यात उत्पादन के लिए व्यापार द्वारा अपेक्षित लगभग सारे उपकरण, उपस्कर और मशीनरी के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखा है। जहां तक प्रशिक्षण सुविधाओं का संबंध है, सरकार ने सूरत में भारतीय हीरा संस्थान, दिल्ली और बम्बई में आभूषण उत्पाद विकास केन्द्र, जयपुर में रत्न शिल्पी प्रशिक्षण स्कूल तथा दिल्ली में जेमोलोजिकल संस्थान स्थापित किये हैं जो सभी रत्न तथा आभूषण क्षेत्र में भारत के निर्यात बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

Strike by the employees of public sector undertakings

706. SHRI MAHENDRA PRASAD:
DR. RATNAKAR PANDEY:
SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the employees of the public sector undertakings including Banks and LIC had gone on a token strike on January 21, 1987;

(b) if so, what were the demands of the public sector employees; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGHA): (a) and (b) Some of the employees of the public sector undertakings including the Banks and the L.I.C. had gone on a day's token strike on January 21, 1987 to protest, among others, against (i) Privatisation of the public sector; (ii) Entry of multi-nationals and monopolies in the sphere of activities of public sector; (iii) Import of technology and goods detrimental to indigenous development; (iv) Modernisation/computerisation without involving trade unions; (v) Linking of wages with